प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, आज़मगढ, बहराइच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, फ़ैज़ाबाद, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहॉपुर एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 7297-23   दिनांक 13.10.2015

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ज़िला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 19 जनपदों के महिला चिकित्सालयों एवं 8 मेडिकल कालेज में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाईया"** (SNCUs) क्रियाशील हैं। यह इकाईयां जिला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इस कार्यलय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 2454–24, दिनांक 13.07.2015 एवं **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 3099–23, दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट (SNCU) के संचालन हेतु **6 माह की आपरेशनल कास्ट (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015) तक** के लिये एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) को क्रियाशील बनाये रखने आपरेशनल कास्ट, मानव संसाधन के मानदेय एवं कंगारू मदर केयर (KMC) हेतु धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

<u>**वित्त पोषण**</u>

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- **Operational Cost**

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियॉं, कन्जूमेबिल्स आदि **तथा 40 प्रतिशत** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री <u>**एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार**</u> क्रय किये जायें सी0एम0एस0 द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

समय से पहले जन्मे एवं कम वजन के नवजात शिशुओं हेतु कंगारू मदर केयर (KMC) या बच्चों को मॉ की छाती से लगाने की गतिविधि को भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी इकाईयों में संचालित करने हेतु **रू0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि** अनुमोदित की गयी है।

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम तीन माताओ के बैठने का स्थान हो।

One Time Establishment Cost for KMC Space

S.N.	Item	Units needed	Unit Cost	Total Cost
1	Easy Chairs (reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Refrigerator (165L-230L)	1	15000	15000
3	Heater, Dust-bins, etc to be ensured from regular supply of the hospital			

Recurring Cost for KMC Activities

S.N.	Item	Units needed	Unit Cost	Total Cost
1	Feeding equipment (katori, spoon, paladay)	20	200	4000
2	Clothes for new-born (Disposable diapers, cap and socks)	110 diapers and 40 cap and socks	200	30000
3	Gowns for Mothers	100	200	20000
4	Baby Blankets	30	200	6000
6	Feeding tubes, Resuscitator, Soap, cotton etc to be ensured from regular supply of the hospital			

2- **Human Resource-**

- **जिला महिला चिकित्सालय में एस0एन0सी0यू0 के संविदा बालरोग विशेषज्ञों**– के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d प्रति इकाई 3 **बालरोग विशेषज्ञ–एम0डी0– पिडियाट्रिक्स /डी0सी0एच0** हेतु **31 मार्च 2014** के पूर्व से एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत 11 बालरोग विशेषज्ञों के 12 माह के मानदेय हेतु रू0 71500/– प्रतिमाह की दर से एवं 46 बालरोग विशेषज्ञों के 12 माह के मानदेय हेतु रू0 65000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- **संविदा स्टॉफ नर्स जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज के एस0एन0सी0यू0** में कार्यरत स्टॉफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.1.2.f पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 137 स्टाफ नर्सो का 12 माह का मानदेय रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से **एवं** 79 स्टाफ नर्सों का 12 माह का मानदेय रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) में (**जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज**) हेतु **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत **संविदा बालरोग विशेषज्ञों एवं संविदा स्टॉफ नर्स** हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है अतः 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार **Arrears** का भुगतान कर्मचारी के खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

- **डाटा इन्ट्री आपरेटर–(जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज में एस0एन0सी0यू0)** के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.11.f पर 27 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 12 माह का मानदेय रू0 12000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- **संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया (आउट सोर्सिग) (जिला महिला चिकित्सालय/ मेडिकल कालेज में एस0एन0सी0यू0**) के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.11.f पर सफाई कर्मी/वार्ड आया 12 माह का मानदेय रू0 6,400/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

3- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट–**

वर्ष 2015–16 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर 27 पूर्व से क्रियाशील इकाईयों में SNCU-data management हेतु रू0 1,60,000.00 की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- पूर्व से संचालित गतिविधि हेतु रू0 60,000.00 की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट का मासिक व्यय कम्प्युटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- नवीन गतिविधि Printing cost for SNCU stationery & case recording format हेतु रू0 1,00,000.00 की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे case record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी। (**प्रपत्र के प्रोटो टाइप संलग्न**)

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी एवं मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी बालरोग विभाग एवं सम्बन्धित द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
6. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

मानव संसाधन–

1. **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2014–15 में 8 स्टाफ नर्स प्रति इकाई का अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। प्रथम चरण में बेड की संख्या के आधार पर स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे है जिन इकाईयों में कम संख्या में स्टाफ नर्स दिये गये हैं उस इकाई की परफॉरमेन्स एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय द्वारा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये मांग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

5. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे एस0एन0सी0यू0 के जिन संविदा मानव संसाधन हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है। उन संविदा कर्मियों को 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार Arrears का भुगतान कर्मचारी के खाते में शीघ्र स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करे।**

6. वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करे।

7. स्टाफ नर्सों की परफॉरमेन्स का मूल्यांकन माह दिसम्बर 2015 में किया जायेगा तदोपारान्त उनकी उपयोगिता एवं आगे कार्य करने के लिये अनुबन्ध को जारी रखने का निर्णय लिया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

''सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट'' की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com एवं gmchildhealthnrhm@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त **''ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाइनेशियल मैनेजमेन्ट''** का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

05/10/15

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015—16/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशालय, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका,** वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ।
9. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,** ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद—अलीगढ़, मेरठ, आज़मगढ़, बहराईच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, फ़ैज़ाबाद, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी, एवं वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग**—नोडल अधिकारी/कोऑडिनेटर, SNCU, मेडिकल यूनिवर्सिटी/कॉलेज, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज अलीगढ़/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी—3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

SNCU Operational Cost & Contractual HR Funds allocation April 2015 -March 2016 — Part-A

Sl. No.	Name of Distrct	Name of Unit	No. of beds	Operational Cost: operational cost for 6 mths April to Sep. 2015	Operational Cost: operational cost for 6 mths Oct. 15 to March. 2016	SNCU Data Management & Printing cost for SNCU stationery and case recording format @ Rs.160000/-SNCU	Pediatrician No.: old Peadiatrician Honorarium @ Rs.71500/- p.m.	Pediatrician No.: New Peadiatrician Honorarium @ Rs.65000/- p.m.	Pediatrician Amount: Peadiatrician Honorarium (April-Sep.15)	Pediatrician Amount: Peadiatrician Honorarium Oct.15-Mar.16	Staff Nurse No.: old Staff Nurse Honorarium @ Rs.19060/- p.m.	Staff Nurse No.: New Staff Nurse Honorarium @ Rs.18150/- p.m.	Staff Nurse Amount: Staff Nurse Honorarium (Apr. 15 to Sep. 15)	Staff Nurse Amount: Staff Nurse Honorarium (Oct. 15 to Mar. 16)
		FMR Code		A.2.2.1		A.2.2.1.1	A.8.1.3.5.d				A.8.1.1.2.f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Agra	Agra MC	16	600000	800000	160000	0	0	0	0	8	0	871200	958560
2	Gorakhpur	Gorakhpur MC	43	800000	1200000	160000	0	0	0	0	7	1	871200	947640
3	Aligarh	Aligarh MC	20	600000	900000	160000	0	0	0	0	0	8	871200	871200
		Aligarh DWH	12	500000	700000	160000	2	1	1170000	1326000	4	4	871200	914880
4	Allahabad	Allahabad MC	15	600000	800000	160000	0	0	0	0	0	8	871200	871200
5	Jhansi	Jhansi MC	10	500000	500000	160000	0	0	0	0	5	3	871200	925800
6	Kanpur	Kanpur MC	12	500000	700000	160000	0	0	0	0	6	2	871200	936720
7	Lucknow	Lucknow MC	32	700000	1100000	160000	0	0	0	0	8	0	871200	958560
		Lucknow VABH	12	400000	800000	160000	1	2	1170000	1248000	6	2	871200	936720
		Lucknow VJBH	12	500000	700000	160000	1	2	1170000	1248000	6	2	871200	936720
8	Meerut	Meerut MC	10	500000	500000	160000	0	0	0	0	6	2	871200	936720
		Meerut DWH	10	400000	600000	160000	0	3	1170000	1170000	5	3	871200	925800
9	Azamgarh	Azamgarh DWH	12	500000	700000	160000	0	3	1170000	1170000	6	2	871200	936720
10	Bahraich	Bahraich DWH	4	300000	300000	160000	0	3	1170000	1170000	3	1	435600	468360
11	Banda	Banda DWH	14	500000	800000	160000	0	3	1170000	1170000	5	3	871200	925800
12	Basti	Basti DWH	12	500000	700000	160000	0	3	1170000	1170000	6	2	871200	936720
13	Bulandshahar	Bulandshahar DWH	8	400000	400000	160000	0	3	1170000	1170000	6	2	871200	936720
14	Etawah	Etawah DWH	8	400000	400000	160000	1	2	1170000	1248000	5	3	871200	925800
15	Faizabad	Faizabad DWH	12	500000	700000	160000	0	3	1170000	1170000	5	3	871200	925800
16	L.Kheri	L. Khiri DWH	8	400000	600000	160000	1	2	1170000	1248000	6	2	871200	936720
17	Lalitpur	Lalitpur DWH	12	500000	700000	160000	1	2	1170000	1248000	7	1	871200	947640
18	Mirzapur	Mirzapur DWH	12	500000	700000	160000	1	2	1170000	1248000	6	2	871200	936720
19	Moradabad	Moradabad DWH	14	500000	800000	160000	1	2	1170000	1248000	4	4	871200	914880
20	Pratapgarh	Pratapgarh DWH	12	500000	700000	160000	0	3	1170000	1170000	3	5	871200	903960
21	Saharanpur	Saharanpur DWH	14	500000	800000	160000	0	3	1170000	1170000	6	2	871200	936720
22	Shahjhanpur	Shajhanpur DWH	16	500000	900000	160000	0	3	1170000	1170000	4	4	871200	914880
23	Varanasi	Varanasi DWH	6	400000	400000	160000	2	1	1170000	1326000	4	4	871200	914880
Total funds (In Rs.)			368	13500000	18900000	4320000	11	46	22230000	23088000	137	75	23086800	24582840
Released to DHS			368	135.00	189.00	43.20	57		222.30	230.88	212		230.87	245.83

SNCU Contractual HR Funds allocation April 2015 -March 2016 **Part-B**

Sl. No.	Name of Distrct	Name of Unit	No. of beds	Cleaner/ Ward Ayah				Data Entry Oprator			Total Fund Adjustment for 6 Months (Col No-5+10+14+21+24)	Total Funds released to DHS (Col No-6+7+11+15+22+25)
				No.	No.	Amount	Amount	No.	Amount	Amount		
				No. for 12 mths (Apl. 15 -Mar.16)	No. for 12 month (April 15to March 16	Honorarium @ Rs. 6400/- p.m. (Apl.15 to Sep. 15)	Honorarium @ Rs. 6400/- p.m. (Oct. 15 to Mar. 16)	No. for 12 mths (Apl. 15 -Mar.16)	Honorarium @ Rs. 12000/- p.m. (Apl. 15 to Sep. 15)	Honorarium @ Rs. 12000/- p.m.(Oct. 15 to Mar. 16)		
		FMR Code		A.8.1.11.f				A.8.1.11.f				
1	*16*	*17*	*17*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*		
1	Agra	Agra MC.	16	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1696800	2144160
2	Gorakhpur	Gorakhpur MC	43	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1896800	2533240
3	Aligarh	Aligarh MC.	20	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1696800	2156800
		Aligarh DWH	12	4	0	153600	153600	1	72000	72000	2766800	3326480
4	Allahabad	Allahabad MC	15	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1696800	2056800
5	Jhansi	Jhansi MC	10	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1596800	1811400
6	Kanpur	Kanpur MC	12	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1596800	2022320
7	Lucknow	Lucknow MC	32	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1796800	2444160
		Lucknow VABH	12	4	0	153600	153600	1	72000	72000	2666800	3370320
		Lucknow VJBH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3308720
8	Meerut	Meerut MC	10	4	0	153600	153600	1	72000	72000	1596800	1822320
		Meerut DWH	10	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2628400	3119800
9	Azamgarh	Azamgarh DWH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3230720
10	Bahraich	Bahraich DWH	4	3	0	115200	115200	1	72000	72000	2092800	2285560
11	Banda	Banda DWH	14	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3319800
12	Basti	Basti DWH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3230720
13	Bulandshahar	Bulandshahar DWH	8	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2628400	2930720
14	Etawah	Etawah DWH	8	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2628400	2997800
15	Faizabad	Faizabad DWH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3219800
16	L.Kheri	L. Khiri DWH	8	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2628400	3208720
17	Lalitpur	Lalitpur DWH	12	4	0	153600	153600	1	72000	72000	2766800	3281240
18	Mirzapur	Mirzapur DWH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3308720
19	Moradabad	Moradabad DWH	14	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3386880
20	Pratapgarh	Pratapgarh DWH	12	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3197960
21	Saharanpur	Saharanpur DWH	14	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3330720
22	Shahjhanpur	Shajhanpur DWH	16	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2728400	3408880
23	Varanasi	Varanasi DWH	6	3	1	115200	192000	1	72000	72000	2628400	3064880
Total funds (In Rs.)			368	92	15	3532800	4684800	27	1944000	1944000	64293600	77519640
Released to DHS				107		35.33	46.85		19.44	19.44	642.94	775.20

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, झॉसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, आज़मगढ, बहराइच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, फ़ैज़ाबाद, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहॉपुर एवं वाराणसी।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / दिनांक

विषय–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ज़िला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में स्थापित एस0एन0सी0यू0 को क्रियाशील बनाये रखने के सम्बंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 19 जनपदों के महिला चिकित्सालयों एवं 8 मेडिकल कालेज में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाईया"** (SNCUs) क्रियाशील हैं। यह इकाईयां जिला महिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों का अभिन्न अंग है।

इस कार्यलय के **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 2454–24, दिनांक 13.07.2015 एवं **पत्र संख्या**–एस0पी0एम0यू0 / CH/SNCU / 36 / 2015–16 / 3099–23, दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट (SNCU) के संचालन हेतु **6 माह की आपरेशनल कास्ट (अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015) तक** के लिये एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2015–16 की आर0ओ0पी0 में **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) को क्रियाशील बनाये रखने आपरेशनल कास्ट, मानव संसाधन के मानदेय एवं कंगारू मदर केयर (KMC) हेतु धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1- **Operational Cost**

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार FMR Code- A.2.2.1 पर ऑपरेशनल कॉस्ट की धनराशि का **60 प्रतिशत** औषधियॉ, कन्जूमेबिल्स आदि **तथा 40 प्रतिशत** ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण की क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री **एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार** क्रय किये जायें सी0एम0एस0 द्वारा बिना इनकी लिखित परामर्श के धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु संलग्न तालिका के अनुसार इकाईवार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

समय से पहले जन्मे एवं कम वजन के नवजात शिशुओं हेतु कंगारू मदर केयर (KMC) या बच्चों को मॉ की छाती से लगाने की गतिविधि को भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सभी इकाईयों में संचालित करने हेतु **रू0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि** अनुमोदित की गयी है।

कंगारू मदर केयर (KMC) गतिविधि के लिये एस0एन0सी0यू0 के निकट के0एम0सी0 लिये एक अलग कमरा या पृथक स्थान सुनिश्चित करें। जिसमें कम से कम तीन माताओ के बैठने का स्थान हो।

One Time Establishment Cost for KMC Space

S.N.	Item	Units needed	Unit Cost	Total Cost
1	Easy Chairs (reclining with foot support)	3	5000	15000
2	Refrigerator (165L-230L)	1	15000	15000
3	Heater, Dust-bins, etc to be ensured from regular supply of the hospital			

Recurring Cost for KMC Activities

S.N.	Item	Units needed	Unit Cost	Total Cost
1	Feeding equipment (katori, spoon, paladay)	20	200	4000
2	Clothes for new-born (Disposable diapers, cap and socks)	110 diapers and 40 cap and socks	200	30000
3	Gowns for Mothers	100	200	20000
4	Baby Blankets	30	200	6000
6	Feeding tubes, Resuscitator, Soap, cotton etc to be ensured from regular supply of the hospital			

2- **Human Resource-**

- **जिला महिला चिकित्सालय में एस0एन0सी0यू0 के संविदा बालरोग विशेषज्ञों**– के मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.3.5.d प्रति इकाई 3 **बालरोग विशेषज्ञ–एम0डी0– पिडियाट्रिक्स /डी0सी0एच0** हेतु **31 मार्च 2014** के पूर्व से एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत 11 बालरोग विशेषज्ञों के 12 माह के मानदेय हेतु रू0 71500/– प्रतिमाह की दर से एवं 46 बालरोग विशेषज्ञों के 12 माह के मानदेय हेतु रू0 65000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- **संविदा स्टॉफ नर्स जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज के एस0एन0सी0यू0** में कार्यरत स्टॉफ नर्स के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.1.2.f पर **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत 137 स्टाफ नर्सों का 12 माह का मानदेय रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से **एवं** 79 स्टाफ नर्सो का 12 माह का मानदेय रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे **"सिक न्यूबोर्न केयर इकाई"** (SNCU) में (**जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज**) हेतु **31 मार्च 2014** के पूर्व से कार्यरत **संविदा बालरोग विशेषज्ञों एवं संविदा स्टॉफ नर्स** हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है अतः 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार **Arrears** का भुगतान कर्मचारी के खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

- **डाटा इन्ट्री आपरेटर–(जिला महिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज में एस0एन0सी0यू0)** के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.11.f पर 27 डाटा इन्ट्री आपरेटर के 12 माह का मानदेय रू0 12000/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- **संविदा सफाई कर्मी/वार्ड आया** (आउट सोर्सिग) (**जिला महिला चिकित्सालय/ मेडिकल कालेज में एस0एन0सी0यू0**) के मानदेय हेतु FMR Code No A.8.1.11.f पर सफाई कर्मी/वार्ड आया 12 माह का मानदेय रू0 6,400/– प्रतिमाह की दर से धनराशि का विवरण जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

3- **SNCU डाटा मैनेजमेन्ट–**

वर्ष 2015–16 हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 के FMR Code-A.2.2.1.1 पर 27 पूर्व से क्रियाशील इकाईयों में SNCU-data management हेतु रू0 1,60,000.00 की धनराशि प्रति इकाई की दर से स्वीकृत की गयी है धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त की जा रही है।

- पूर्व से संचालित गतिविधि हेतु रू0 60,000.00 की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार जिसे कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेश्नरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट का मासिक व्यय कम्प्युटर प्रिन्टर का रख–रखाव की व्यवस्था इत्यादि हेतु व्यय किया जायेगा।
- नवीन गतिविधि Printing cost for SNCU stationery & case recording format हेतु रू0 1,00,000.00 की धनराशि प्रति इकाई के अनुसार अवमुक्त की जा रही है। इस धनराशि से इकाई में मरीजों के उपयोग होने वाले प्रपत्र जैसे case record, Monitoring sheet/treatment & discharge भारत सरकार से प्राप्त प्रपत्र के अनुसार प्रिन्ट कराने के लिये उपयोग की जायेगी। (**प्रपत्र के प्रोटो टाइप संलग्न**)

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी एवं मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी बालरोग विभाग एवं सम्बन्धित द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह एस0एन0सी0यू0 से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
5. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
6. इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0 एफ0एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

मानव संसाधन–

1. **एस0एन0सी0यू0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय।** यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

2. एस0एन0सी0यू0 पर तैनात स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन, जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को 4 दिवसीय फेसिलटीबेस्ड न्यूबोर्न केयर (FBNC) प्रशिक्षण तदोपरान्त 12 कार्य दिवसीय Observership-FBNC प्रशिक्षण कलावती सरण चिल्ड्रेन हॉस्पिटल दिल्ली में दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन को प्राप्त करना अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशिन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थित में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

3. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।

4. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2014–15 में 8 स्टाफ नर्स प्रति इकाई का अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। प्रथम चरण में बेड की संख्या के आधार पर स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत किये जा रहे है जिन इकाईयों में कम संख्या में स्टाफ नर्स दिये गये हैं उस इकाई की परफॉरमेन्स एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय द्वारा मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 से अतिरिक्त स्टाफ नर्सों की आवश्यकता के लिये मांग करने पर, भारत सरकार से स्वीकृत पद की सीमा तक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

5. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे एस0एन0सी0यू0 के जिन संविदा मानव संसाधन हेतु पुनरीक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है। उन संविदा कर्मियों को 1 अप्रैल 2015 से अब तक किये गए भुगतान पर नवीन मानदेय के अनुसार Arrears का भुगतान कर्मचारी के खाते में शीघ्र स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करे ।**

6. वित्तीय वर्ष के दौरान एस0एन0सी0यू0 में अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र करे।

7. स्टाफ नर्सों की परफॉरमेन्स का मूल्यांकन माह दिसम्बर 2015 में किया जायेगा तदोपारान्त उनकी उपयोगिता एवं आगे कार्य करने के लिये अनुबन्ध को जारी रखने का निर्णय लिया जायेगा।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन –

''सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट'' की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों में चिकित्सालय प्रशासन/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें। एस0एन0सी0यू0 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा वांछित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई–मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के ई–मेल sncureportup@gmail.com एवं gmchildhealthnrhm@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जनपदों को एन0आर0एच0एम0 की धनराशि के नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त **''ऑपरेशनल गाइड लाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट''** का पालन करना होगा इसकी प्रति नोडल अधिकारी को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद की मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग/नोडल अधिकारी, एस0एन0सी0यू0 से समन्वय करते हुये समय से धनराशि अवमुक्त करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रयास करें कि एस0एन0सी0यू0 के क्रियाशीलता में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/SNCU/36/2015–16/7297-23(14) दिनांक 13.10.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. **महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,** सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
4. **महानिदेशालय, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. **सम्बन्धित ज़िलाधिकारी**/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. **संयुक्त निदेशक,** आर0सी0एच0 परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. **प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका,** वीरांगना अवंती बाई महिला चिकित्सालय, गोलागंज, लखनऊ।
9. **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,** ज़िला महिला चिकित्सालय, जनपद–अलीगढ़, मेरठ, आज़मगढ़, बहराईच, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, फ़ैज़ाबाद, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद प्रतापगढ़, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी, एवं वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, हजरतगंज, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. **कुलपति,** किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
12. **विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग**–नोडल अधिकारी/कोऑडिनेटर, SNCU, मेडिकल यूनिवर्सिटी/कॉलेज, किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ/जे0एन0 मेडिकल कॉलेज अलीगढ़/एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद/एल0एल0आर0एम0, मेडिकल कॉलेज मेरठ/एस0एन0, मेडिकल कॉलेज आगरा/जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर/बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज गोरखपुर/आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
13. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय,** कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
14. **ऑफीसर इन्चार्ज हेल्थ, यूनीसेफ,** बी–3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य